

मेसेर्स केरल कोचीन पोर्ट ट्रस्ट

बनाम

स्टेट ऑफ केरला

(सिविल अपील संख्या.1906/2007)

22 अप्रैल, 2015

[एच.एल. दत्त, सी.जे., आर. के. अग्रवाल एवं अरुण मिश्रा, जे. जे.]

केरला सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963-धारा 2 (viii)-विक्रेता-बिक्री कर की विशिष्टता-पोर्ट ट्रस्ट, बंदरगाह सेवाओं को प्रदान करने के लिए गठित वैधानिक प्राधिकरण-अपने वैधानिक कार्यों के अलावा स्क्रेप वस्तुओं में लेनदेन की गतिविधि में संलग्न, बिक्री लेनदेन की प्रकृति में-पोर्ट ट्रस्ट-निर्धारिती, क्या अधिनियम के तहत एक व्यापारी और भुगतान कर के लिए उत्तरदायी है-आयोजित:निर्धारिती-पोर्टट्रस्ट द्वारा की गई गतिविधि "विक्रेता" यू/एस 2(viii) के अर्थ में आती है। और इस प्रकार, अधिनियम-प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम, 1963 के तहत कर के लिए आकलन योग्य।

न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया गया :-

1.1 केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 के तहत विक्रेता की परिभाषा एक समावेशी परिभाषा है जिसके तहत व्यक्तियों की विस्तृत श्रृंखला को "विक्रेता" के दायरे में रखा गया है। इसमें किसी भी व्यवसाय या व्यापारिक गतिविधि को चलाने में शामिल व्यक्ति और उनके द्वारा किए गए लेनदेन शामिल हैं, चाहे वे व्यवसाय के दौरान हों या नहीं।[पैरा 14] [351-डी-ई]

1.2 यह ध्यान देना उचित है कि तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1959 को 2002 के अधिनियम 22 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसके तहत

तमिलनाडु अधिनियम के खंड 2 (जी) की परिभाषा में स्पष्टीकरण (3) जोड़ा गया था। उक्त संशोधन द्वारा मद्रास पोर्ट ट्रस्ट को अब टी. एन. अधिनियम के तहत एक व्यापारी के रूप में घोषित किया गया है। स्पष्टीकरण (3) में कहा गया है कि यदि बंदरगाह न्यास टी. एन. जी. एस. टी. अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, लावारिस या जब्त या अनुपयोगी या कबाड़ अधिशेष, पुरानी या अप्रचलित वस्तुओं या अस्वीकृत सामग्री या अपशिष्ट उत्पादों सहित किसी भी सामान का निपटान करता है, चाहे वह सीधे नीलामी द्वारा या किसी एजेंट के माध्यम से नकद या स्थगित भुगतान के लिए या किसी अन्य मूल्यवान विचार के लिए हो, तो उसे अधिनियम के उद्देश्य के लिए एक व्यापारी माना जाएगा। इसलिए, संशोधन अधिनियम द्वारा विधायिका ने विशेष रूप से पोर्ट ट्रस्ट को भी "डीलर" यू/एस 2{g} की परिभाषा के भीतर लाया है। और इस प्रकार, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट मामले में निर्णय का आधार खो गया है। [पैरा 22] [357-बी-ई]

1.3 माल की खरीद, बिक्री, आपूर्ति या वितरण, कार्य अनुबंध को निष्पादित करने, किसी भी माल का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण करने या किसी भी सेवा के माध्यम से या उसके हिस्से के रूप में आपूर्ति करने के संबंध में निर्धारिती की गतिविधियाँ, चाहे वह नकद के लिए हो या विलंबित भुगतान के लिए या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए, चाहे वह व्यवसाय के दौरान हो या नहीं, अधिनियम की धारा 2(viii) के दायरे में आती हैं। इस प्रकार, निर्धारिती-बंदरगाह न्यास अधिनियम की धारा 2(viii) के तहत "विक्रेता" के अर्थ के भीतर आएगा और इसके परिणामस्वरूप अधिनियम के तहत कर के लिए आकलन योग्य होगा। उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय और आदेश को रोक दिया जाता है। [पारस 24,26] [358-डी-एफ; 359-ए]

*स्टेट ऑफ टी. एन. बनाम राज्यमद्रास बंदरगाह के न्यासी मंडल 1999 (2) एस. सी. आर. 195; सी. एस. टी. बनाम साई प्रकाशन कोष 2002 (2) एस. सी. आर. 743:(2002) 4 एससीसी 57-प्रतिष्ठित।

सहायक आयुक्त, एर्नाकुलम अन्य हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अन्य। (2015) 3 एस. सी. सी. 735-के लिए संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

1999 (2) एस. सी. आर. 195	विशिष्ट	पैरा 19,20
(2015) 3 धारा 735	संदर्भित	पैरा 14,
2002 (2) एस. सी. आर. 743	विशिष्ट	पैरा 23

सिविल अपील की क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या.2007/1906.

के निर्णय एवं आदेश दिनांक 23.12.2005 से 2002 की टीआरसी संख्या 412 में एर्नाकुलम में केरल का उच्च न्यायालय।

वी. गिरी,सी. एन. श्री कुमार, सुधा शंकर, अमित शर्मा--अपीलकर्ता के लिए

लिज़ मैथ्यू, एम. एफ. फिलिप-प्रतिवादी के लिए

न्यायालय का निर्णय, सी. जे. आई. एच.एल.दत्त द्वारा पारित किया गया:-

1. यह अपील केरल उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है। एर्नाकुलम में 2002 के टी. आर. सी. सं. 412 और 2005 के बिक्री कर पुनरीक्षण सं. 321 और 326, दिनांक 23.12.2005 में जिसके तहत और जिसके तहत, उच्च न्यायालय क्रमांक अभिनिर्धारित किया है कि अपीलकर्ता-निर्धारिती केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 (संक्षेप में "अधिनियम") के तहत एक विक्रेता है और अपीलकर्ता-निर्धारिती द्वारा पसंद किए गए कर पुनरीक्षण को खारिज कर दिया।

2. इस अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या अपीलार्थी-न्यास अधिनियम के तहत एक विक्रेता है और अपने वैधानिक कार्यों के अलावा उसके द्वारा किए गए बिक्री लेनदेन की प्रकृति में कुछ गतिविधियों के कारण अधिनियम के तहत बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। सुविधा और संक्षिप्तता के लिए, हम केवल इस अपील में हमारे सामने प्रश्न (ओं) के संबंध में चर्चा के लिए प्रासंगिक तथ्यों पर ध्यान देंगे।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स इस प्रकार है: अपीलकर्ता-न्यास प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के तहत पत्तन सेवाओं को प्रदान करने के लिए गठित एक वैधानिक प्राधिकरण है। अपीलार्थी-न्यास अधिनियम के तहत एक पंजीकृत विक्रेता है और सहायक आयुक्त (मूल्यांकन), वाणिज्यिक कर, विशेष वृत्त, मट्टनचेरी की सूची पर एक निर्धारिती है। निर्धारण वर्ष 1990-91, 1994-95 और 1997-98 के लिए तत्काल अपील में स्क्रेप वस्तुओं (जहाजों को पानी की बिक्री, निविदा रूप, जलाऊ लकड़ी, अपशिष्ट कागज और अनुपयोगी उपकरणों का निपटान) में निर्धारिती की विशिष्ट गतिविधि मूल्यांकन का विषय है।

4. उपरोक्त मूल्यांकन वर्षों के लिए, मूल्यांकन प्राधिकरण ने दिनांक 18.11.1995, 31 के मूल्यांकन आदेशों द्वारा प्रभावित स्क्रेप वस्तुओं की बिक्री के लिए अधिनियम के तहत मांग नोटिस जारी किए थे। 03.1999 और 24.10.2001, क्रमशः।

5. उक्त मूल्यांकन आदेशों से व्यथित निर्धारिती ने पहली वैधानिक अपील में उपायुक्त (अपील) से संपर्क किया था। निर्धारिती ने मूल्यांकन आदेशों को आधार पर अवैध और अनधिकृत बताते हुए कहा था कि वह किसी भी व्यापारिक गतिविधि में शामिल नहीं है और केवल प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम, 1963 के तहत अपने वैधानिक कार्यों का निर्वहन कर रहा है और इसलिए, वह अधिनियम के तहत एक

"विक्रेता" नहीं है और उसके तहत कर लगाने योग्य नहीं हो सकता है। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष 1990-91, 1994-95 और 1997-98 के लिए क्रमशः 16.01.1998, 28.10.1999 and 25.04.2002 दिनांकित अलग-अलग आदेशों द्वारा उक्त अपील का निपटारा कर दिया है। अपीलीय प्राधिकरण ने अधिनियम के तहत "विक्रेता" की परिभाषा पर विचार किया है और निर्धारिती की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि वह अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक "विक्रेता" है।

6. उपरोक्त आदेशों से व्यथित होकर, निर्धारिती क्रमांक केरल बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षिप्त में, "न्यायाधिकरण") के समक्ष निर्धारण वर्ष के लिए 1998 की टी. ए. संख्या 479 को प्राथमिकता दी थी। निर्धारिती ने तर्क दिया था कि तत्काल मामले में निर्धारिती-न्यास एक सांविधिक निकाय है जो बंदरगाह गतिविधियों को प्रस्तुत करने के अपने कार्यों का निर्वहन करता है और किसी भी व्यापारिक गतिविधि या "व्यवसाय" में संलग्न नहीं है। इसमें लेन-देन केवल कारणात्मक और आनुषंगिक लघु-लेन-देन हैं जो केवल बिक्री कर को आकर्षित करते हैं यदि पंजीकृत विक्रेता अन्यथा अधिनियम के तहत व्यवसाय कर रहा है, जो कि यहाँ मामला नहीं है और इसलिए, निर्धारिती को Act. Reliance की धारा 2 (viii) के तहत "विक्रेता" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है जिसे निर्धारिती द्वारा इस अदालत के कथन पर रखा गया था। पोर्ट ऑफ मद्रास के न्यासी मंडल, (1999) 4 एस. सी. सी. 630 (मद्रास पोर्ट ट्रस्ट मामला)। दिनांक 1 के आदेश द्वारा, न्यायाधिकरण ने निर्धारिती द्वारा अपनाए गए उपरोक्त रुख को खारिज कर दिया और कहा कि निर्धारिती अधिनियम के तहत बिक्री की गतिविधियों में लगा हुआ एक "विक्रेता" है और इस प्रकार, बिक्री कर के लिए उपयुक्त है।

7. इसके अलावा, निर्धारिती क्रमांक 2000 की टी. ए. संख्या 1 और 2003 की टी. ए. संख्या 143 में न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें मूल्यांकन वर्षों 1994-95 और 1997-98 के लिए पहले अपीलीय प्राधिकरण द्वारा आदेशों पर सवाल उठाया गया है। न्यायाधिकरण ने तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1959 (संक्षेप में "टी. एन. अधिनियम") और अधिनियम के तहत "विक्रेता" की परिभाषाओं पर विचार किया है और निष्कर्ष निकाला है कि चूंकि दोनों परिभाषाएं पारिमेटरिया नहीं हैं, इसलिए मद्रास पोर्ट ट्रस्टकेस में इस अदालत की टिप्पणियां निर्धारिती-पोर्ट ट्रस्ट पर लागू नहीं होंगी। न्यायाधिकरण ने माना है कि अधिनियम के तहत "विक्रेता" की परिभाषा व्यापक है और निर्धारिती द्वारा की गई गतिविधियों के आलोक में इसे अधिनियम के तहत "विक्रेता" के दायरे में रखा जा सकता है और इसलिए अधिनियम के तहत बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

8. न्यायाधिकरण द्वारा आदेशों से असंतुष्ट, निर्धारिती क्रमांक 2002 के टीआरसी संख्या 412 और 2005 के बिक्री कर पुनरीक्षण संख्या 321 और 326 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यह प्रश्न कि क्या निर्धारिती अधिनियम के तहत एक "विक्रेता" है, जो न्यायाधिकरण के समक्ष मुख्य मुद्दा था, उच्च न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों द्वारा मुख्य मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उच्च न्यायालय ने उक्त प्रश्न पर गौर किया है और इस बात पर भी विचार किया है कि क्या टी. एन. अधिनियम के संदर्भ में निराकृत गया मद्रास पोर्ट ट्रस्ट केस निर्धारिती-ट्रस्ट पर लागू होता है जो अधिनियम द्वारा शासित है। उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को मंजूरी दे दी है और अपीलकर्ता-निर्धारिती द्वारा दायर कर संशोधन (ओं) को खारिज कर दिया है।

9. उपरोक्त से व्यथित, निर्धारिती इस अपील में पहले से ही जिम्मेदार है।

10. अपीलार्थी-निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील श्री वी. गिरि प्रस्तुत करेंगे कि निर्धारिती अधिनियम की धारा 2 (viii) के दायरे में नहीं आता है और उसे "विक्रेता" नहीं कहा जा सकता है। वह प्रस्तुत करेगा कि निर्धारिती केवल वैधानिक कार्यों का निर्वहन कर रहा है और किसी भी "व्यवसाय" या व्यापार में संलग्न नहीं है। इसके अलावा, यह कि प्रश्न लेन-देन आकस्मिक और सहायक होने के कारण अधिनियम के तहत व्यवसाय के रूप में योग्य नहीं होंगे ताकि अधिनियम के तहत निर्धारिती को "विक्रेता" माना जा सके। वह मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में इस अदालत की टिप्पणियों से समर्थन प्राप्त करेंगे, जहां इस अदालत ने कहा है कि मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के तहत गठित उक्त पोर्ट ट्रस्ट और वैधानिक कार्य करता है, तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1959 (संक्षेप में "टी. एन. ए. अधिनियम") के तहत बिक्री कर के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि चूंकि टी. एन. अधिनियम के प्रावधान अधिनियम के समान हैं, इसलिए मद्रास पोर्ट ट्रस्ट का मामला पूरी तरह से निर्धारिती-कोचीन पोर्ट ट्रस्ट पर भी लागू होगा।

11. इसके विपरीत, श्रीमती। प्रत्यर्थी-राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता लिज़ मैथ्यू उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय और आदेश का समर्थन करेंगे और तर्क देंगे कि इसमें निर्धारिती स्क्रेप सामग्री की बिक्री में लगे अधिनियम के तहत एक "विक्रेता" है और इसलिए, अधिनियम के तहत बिक्री कर के लिए उपयुक्त है। वह प्रस्तुत करेंगी कि टी. एन. अधिनियम और अधिनियम के प्रावधान समान सामग्री नहीं हैं और निर्धारिती के दावे की जांच केवल अधिनियम के संदर्भ में की जानी चाहिए न कि टी. एन. ए. अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर। वह आग्रह करेंगी कि मद्रास पोर्ट ट्रस्ट मामले में इस अदालत की टिप्पणियां टी. एन. अधिनियम और अधिनियम

के प्रावधानों के तहत "डीलर" की परिभाषाओं के बीच भौतिक अंतर के आलोक में तत्काल मामले पर लागू नहीं होंगी।

12. तत्काल मामले में हमारे विचार और निर्णय के लिए जो मुद्दा उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या निर्धारित-न्यासी अधिनियम के तहत एक विक्रेता है और इस प्रकार, उसके तहत बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

13. शुरुआत में, अधिनियम की धारा 2 (viii) पर ध्यान देना उचित है जो "विक्रेता" शब्द को परिभाषित करती है। उक्त परिभाषा यहाँ नीचे निकाली गई है:

"2(viii) "विक्रेता" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो वस्तुओं की खरीद, बिक्री, आपूर्ति या वितरण, कार्य अनुबंध को निष्पादित करने, किसी भी वस्तु के उपयोग के अधिकार को हस्तांतरित करने या किसी भी सेवा के माध्यम से या उसके हिस्से के रूप में आपूर्ति करने का व्यवसाय करता है, कोई भी वस्तु प्रत्यक्ष या अन्यथा, चाहे वह नकद या विलंबित भुगतान के लिए हो, या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए हो और इसमें शामिल हैं:

(ए).....

(बी).....

(सी).....

(डी).....

(ई) एक व्यक्ति जो, चाहे व्यवसाय के दौरान हो या नहीं, बेचता है;

(i) निर्माण, कृषि, बागवानी या अन्य माध्यम से उसके द्वारा उत्पादित सामान; या (ii) ऐसे पेड़ जो अनायास उगते हैं और जो बिक्री से पहले या बिक्री के अनुबंध के तहत काटे जाने के लिए

सहमत हैं; (च) एक व्यक्ति जो व्यवसाय के दौरान हो या नहीं, (1) किसी अनुबंध के अनुसरण में नियंत्रित माल सहित किसी भी सामान को नकद आदेशित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए स्थानांतरित करता है।

(2) कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल में संपत्ति का हस्तांतरण (चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में);

(3) किसी भी माल को किराए पर लेने या किशतों में भुगतान करने की किसी भी प्रणाली पर वितरित करना;

(4) किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी माल का उपयोग करने का अधिकार (चाहे वह एक निर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं) नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए हस्तांतरित करता है;

(5) आपूर्ति, किसी भी सेवा के माध्यम से या उसके हिस्से के रूप में या किसी अन्य तरीके से, माल, भोजन या मानव उपभोग के लिए कोई अन्य वस्तु या कोई पेय (चाहे मादक हो या न हो), जहां ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार के लिए है;

स्पष्टीकरण।-(1) & (2)(छ) एक बैंक या एक वित्तपोषण संस्था, चाहे वह अपने व्यवसाय के दौरान हो या नहीं, किसी भी ऋण को सुरक्षित करने के लिए अपने साथ गिरवी रखी गई किसी भी सोने या अन्य मूल्यवान वस्तु को ऐसी ऋण राशि की प्राप्ति के लिए बेचती है।

14. उपरोक्त परिभाषा के अवलोकन से संकेत मिलता है कि अधिनियम के तहत विक्रेता की परिभाषा एक समावेशी परिभाषा है जिसके द्वारा व्यक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला को "विक्रेता" के दायरे में रखा गया है। इसमें किसी भी व्यवसाय या व्यापारिक गतिविधि को चलाने में शामिल व्यक्ति और उनके द्वारा किए गए लेनदेन शामिल हैं, चाहे वे व्यवसाय के दौरान हों या नहीं। सहायक आयुक्त, एर्नाकुलम बनाम हिंदुस्तान अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अन्य (2015) 3 एस. सी. सी. 735 में इस अदालत के निर्णय का उल्लेख करना लाभदायक है, जहां इस अदालत ने उक्त प्रावधान की व्याख्या की है। इस अदालत ने अधिनियम के तहत विक्रेता की परिभाषा के दायरे और दायरे की जांच की है। इस अदालत के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या "आधिकारिक परिसमापक" अधिनियम की कंडिका 2 (viii) के अर्थ के भीतर एक "विक्रेता" है। इस अदालत ने निर्णय के पैराग्राफ 26 में कहा है:

“..... "व्यापारी" की परिभाषा को भी व्यापक दायरे में रखा गया है। इसमें अन्य बातों के साथ साथ-साथ वस्तुओं की खरीद, बिक्री, आपूर्ति या वितरण का व्यवसाय करने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अन्यथा। भुगतान के सभी तरीके, चाहे वे नकद, कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान राशि के रूप में हों, उसमें शामिल किए गए हैं। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आकस्मिक व्यापारी, एक अनिवासी व्यापारी, एक कमीशन एजेंट, एक दलाल, एक नीलामीकर्ता अन्य बातों के साथ साथ व्यापारिक एजेंट भी शामिल हैं। परिभाषा की उप-धारा (च) अपने दायरे में लेन-देन की एक श्रृंखला को शामिल करके प्रावधान के दायरे का और विस्तार करती है, जो व्यवसाय के पाठ्यक्रम में हो भी सकता है और नहीं भी। धारा 2 (viii) (च) (1) में स्पष्ट रूप से एक "व्यापारी" की परिभाषा के भीतर

एक व्यक्ति को शामिल किया गया है, जो किसी भी माल का हस्तांतरण करता है या नहीं, चाहे वह अनुबंध के अनुसरण में हो या नहीं, नकद या आस्थगित भुगतान के लिए।"

15. इसमें इस अदालत ने विभिन्न वित्तीय विधानों के तहत डीलर की परिभाषा पर ध्यान दिया है और कहा है कि अधिनियम के परिभाषा खंड के तहत "डीलर" को प्रदान किया गया व्यापक दायरा और दायरा बिक्री और व्यापार की गतिविधियों में लगे व्यक्तियों को रखने के विधायी इरादे के अनुरूप है जो अन्यथा "व्यवसाय" की सीमित परिभाषा में नहीं आता है। इस अदालत ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"34. धारा 2 (viii) (च) "व्यापारी" की परिभाषा का विस्तार करती है जिससे व्यक्तियों का एक व्यापक वर्ग इसके दायरे में आ सकता है। इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जो किसी भी वस्तु का हस्तांतरण करता है, किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति का हस्तांतरण करता है, किसी भी वस्तु को किराए पर खरीद या इंस्टॉलमेंट द्वारा भुगतान की किसी भी प्रणाली को वितरित करता है, किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी वस्तु का उपयोग करने का अधिकार हस्तांतरित करता है और अंत में कोई भी खाद्य या पेय आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता, जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। उपखंड (च) की व्याख्या 1 में एक सोसायटी, क्लब, फर्म या व्यक्तियों का एक संघ या निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं। स्पष्टीकरण 2 में इस धारा के दायरे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इसका कोई भी तंत्र शामिल है।

35. इसलिए, परिभाषा के असाधारण रूप से व्यापक दायरे को देखते हुए, प्रथमदृष्टया यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो माल बेचने की कोई भी गतिविधि करती है, उसे अधिनियम, 1963 के तहत "विक्रेता" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। हाथ में मुद्दे के संदर्भ में उपरोक्त निष्कर्ष का परीक्षण करने के लिए, हम इस अदालत द्वारा "विक्रेता" शब्द की व्याख्या पर विचार करेंगे। अधिनियम, 1963 के तहत "विक्रेता" की परिभाषा को सावधानीपूर्वक पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि विधान का उद्देश्य एक समावेशी मानदंड प्रदान करना और उक्त वर्गीकरण के दायरे को व्यापक बनाना है। विधायिका ने आम बोलचाल में माने जाने वाले शब्द के दायरे को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव नहीं किया। "

16. यहाँ, चूंकि "विक्रेता" की परिभाषा व्यापक रूप से व्यापार के दौरान किए गए लेन-देन को या तो अन्य रूप से शामिल करने के लिए है, हमारे सामने रखे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए, हम निर्धारिती-बंदरगाह न्यास द्वारा की गई गतिविधि की प्रकृति की जांच करना आवश्यक नहीं समझते हैं, चाहे वह अधिनियम के तहत "व्यवसाय" की परिभाषा के अंतर्गत आता है या नहीं।

17. तत्काल मामले में अपीलकर्ता-निर्धारिती मद्रास पोर्ट ट्रस्ट मामले में इस अदालत के निर्णय पर भरोसा करेगा, टी. एन. अधिनियम और अधिनियम के प्रावधानों के बीच समानता बनाएगा और इसलिए प्रस्तुत करेगा कि मद्रास पोर्ट ट्रस्ट की टिप्पणियां तत्काल मामले पर लागू होंगी। इसमें, इस अदालत के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या मद्रास पोर्ट ट्रस्ट टी. एन. अधिनियम के तहत एक "विक्रेता" है या नहीं। उपरोक्त प्रश्न की जांच करने के लिए धारा 2 (जी) और 2 (डी) के तहत टी. एन. अधिनियम में

निहित परिभाषा खंडों पर विचार किया गया है।स्पष्टता के लिए, हम टी. एन. अधिनियम की धारा 2 (जी) और 2 (डी) का उल्लेख निम्नानुसार करेंगे:

"धारा 2 (छ) 'विक्रेता' से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा, चाहे जबरन, या विलंबित भुगतान के लिए, या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए सामान खरीदने, बेचने, वितरण करने का व्यवसाय करता है, और इसमें शामिल हैं-

(i) एक स्थानीय प्राधिकरण जो ऐसा व्यवसाय करता है;

(ii)...

(iii) एक कारक, या नीलामीकर्ता, या कोई अन्य व्यापारी एजेंट जिसे किसी भी नाम से जाना जाए, किसी भी मूलधन की ओर से सामान खरीदने, बेचने, आपूर्ति करने या वितरित करने के व्यवसाय पर, या जिसके माध्यम से माल खरीदा जाता है, बेचा जाता है, आपूर्ति की जाती है;

(iv) (ix) को।

व्याख्या (1)...

व्याख्या (2)- केंद्र सरकार या कोई भी राज्य सरकार, चाहे वह व्यवसाय के दौरान हो या न हो, माल की खरीद, बिक्री, आपूर्ति या वितरण, सीधे या अन्यथा, नकद के लिए, या विलंबित भुगतान के लिए, या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान विचार के लिए, इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए एक विक्रेता माना जाएगा;"

* * * " धारा 2 (डी) 'व्यवसाय' में शामिल हैं: -

(i) कोई भी व्यापार, या वाणिज्य या निर्माण या व्यापार, वाणिज्य या निर्माण की प्रकृति में कोई भी साहसिक कार्य या संस्था, चाहे वह व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, साहसिक कार्य या संस्था लाभ या लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है या नहीं और क्या ऐसे व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, साहसिक कार्य या संस्था से कोई लाभ प्राप्त होता है या नहीं; और

((ख) ऐसे व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, साहस या उद्यम के संबंध में कोई लेन-देन।"

18. इस अदालत ने उक्त निर्णय में प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम, 1963 के संदर्भ में तमिलनाडु अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से विचार किया है। इस अदालत ने देखा है कि बंदरगाह न्यास व्यवसाय करने के लिए स्थापित नहीं हैं और इसके बाद, मद्रास पोर्ट न्यास की विभिन्न गतिविधियों का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि इसकी गतिविधियाँ और सेवाएं केवल इस बात का संकेत देती हैं कि प्रश्न गतिविधि, यानी गैर-सेवा योग्य या लावारिस वस्तुओं की बिक्री, उन गतिविधियों और सेवाओं की बहुत बड़ी श्रृंखला की तुलना में असीम है जो इसे प्रदान करने की उम्मीद है। इसलिए इस अदालत ने निष्कर्ष निकाला है कि मद्रास पोर्ट ट्रस्ट तमिलनाडु अधिनियम की धारा 2 (डी) के साथ पठित धारा 2 (जी) के तहत प्रदान की गई "व्यवसाय करने" की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है और इसलिए, यह तमिलनाडु अधिनियम की धारा 2 (जी) के अर्थ के भीतर "विक्रेता" नहीं है।

19. हमारे सुविचारित विचार में इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से तत्काल मामले में निर्धारिती को लाभ नहीं होगा। उक्त निर्णय इस प्रश्न के आधार पर दिया गया था कि क्या पोर्ट ट्रस्ट टी. एन. अधिनियम के तहत "व्यवसाय" कर रहा है और क्या

वह टी. एन. अधिनियम के तहत "विक्रेता" है ताकि उसके तहत कर लगाया जा सके। उपरोक्त निष्कर्ष टी. एन. अधिनियम और अधिनियम के तहत "विक्रेता" की परिभाषा के स्पष्ट अंतर से निकलता है। अधिनियम के तहत परिभाषा एक व्यापक परिभाषा है जबकि टीएन अधिनियम जैसा कि तब था, "व्यापारी" शब्द का एक बहुत ही सीमित अर्थ प्रदान करता है। अधिनियम और टी. एन. अधिनियम में परिभाषा खंडों की तुलना से पता चलता है कि माल की खरीद, बिक्री, आपूर्ति या वितरण द्वारा "व्यवसाय करने" की आवश्यकता, चाहे वह नकद या विलंबित भुगतान या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान विचार के लिए हो, टी. एन. अधिनियम, बी के तहत एक व्यापारी का एक आवश्यक घटक था, लेकिन अधिनियम की धारा 2 (viii) के (ई), (एफ) और (जी) जैसे खंड टी. एन. अधिनियम में अनुपस्थिति थे। इस प्रकार, उक्त परिभाषाएँ समान नहीं हैं।

20. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट मामले में इस अदालत ने टी. एन. अधिनियम के संदर्भ में "व्यवसाय करना" अभिव्यक्ति पर जोर दिया है, और इस संदर्भ में यह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मद्रास पोर्ट ट्रस्ट किसी भी व्यवसाय में संलग्न अनुपस्थिति है जो टी. एन. अधिनियम के तहत "व्यापारी" की परिभाषा के तहत एक आवश्यक पूर्व शर्त है। यहाँ के अधिनियम में व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को "विक्रेता" की परिभाषा के तहत रखे जाने की आवश्यकता अनुपस्थिति है। इस परिभाषा में स्पष्ट रूप से वे व्यक्ति शामिल हैं जो व्यापार के क्रम में हों या माल की बिक्री या हस्तांतरण में संलग्न न हों और इसलिए अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति के लिए व्यवसाय करने की आवश्यकता को अनिवार्य नहीं करता है। टी. एन. अधिनियम और अधिनियम के तहत "विक्रेता" की परिभाषा के बीच विरोधाभास यह स्पष्ट करता है कि मद्रास पोर्ट ट्रस्ट मामले में इस अदालत का पालन, जो टी. एन. अधिनियम की परिभाषा का उल्लेख करता है और इसे ट्रस्ट के कर

के लिए अनुपयुक्त होने के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए व्याख्या करता है, तत्काल मामले में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

21. इसके अलावा, यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि मद्रास पोर्ट ट्रस्ट मामले में कोचीन, कांडला और कलकत्ता के पोर्ट ट्रस्ट द्वारा इस अदालत के समक्ष हस्तक्षेप के लिए आवेदनों को प्राथमिकता दी गई थी। हालाँकि, इस अदालत ने उन्हें केवल तमिलनाडु अधिनियम के संदर्भ में मद्रास पोर्ट ट्रस्ट की प्रस्तुतियों का समर्थन करने की अनुमति दी है और उक्त निर्णय के कंडिका 6 में कहा गया है कि संबंधित राज्य अधिनियमों के तहत उक्त पोर्ट ट्रस्ट की अनिवार्यता की जांच नहीं की गई है। इसलिए, इस अदालत ने केवल टी. एन. अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख किया है और मद्रास पोर्ट ट्रस्ट मामले में निर्धारित-पोर्ट ट्रस्ट की तुलना में अधिनियम के दायरे की जांच नहीं की है।

22. यह ध्यान देना और भी उचित है कि टी. एन. अधिनियम को 2002 के अधिनियम 22 द्वारा संशोधित किया गया था जिसके तहत स्पष्टीकरण (3) को टी. एन. अधिनियम के खंड 2 (जी) की परिभाषा में जोड़ा गया था। उक्त संशोधन द्वारा मद्रास पोर्ट ट्रस्ट को अब टी. एन. अधिनियम के तहत एक व्यापारी के रूप में घोषित किया गया है। स्पष्टीकरण (3) में कहा गया है कि यदि बंदरगाह न्यास टी. एन. जी. एस. टी. अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, लावारिस या जब्त या अनुपयोगी या स्क्रेप अधिशेष, पुरानी अप्रचलित वस्तुओं या फेंकी गई सामग्री या अपशिष्ट उत्पादों सहित किसी भी माल का निपटान करता है, चाहे वह नीलामी द्वारा या अन्यथा सीधे या किसी एजेंट के माध्यम से नकद या विलंबित भुगतान के लिए या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए हो, तो उसे अधिनियम के उद्देश्य के लिए एक व्यापारी माना जाएगा। इसलिए, संशोधन अधिनियम द्वारा विधान ने विशेष रूप से

पोर्ट ट्रस्ट को भी अधिनियम की धारा 2 (जी) के तहत "डीलर" की परिभाषा के भीतर लाया है और इसलिए, मद्रास पोर्ट ट्रस्टकेस में निर्णय का आधार खो गया है।

23. श्री गिरि ने सी. एस. टी. बनाम साई प्रकाशन कोष, (2002) 4 एस. सी. सी. 57 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है और निवेदन है कि जहां मुख्य गतिविधि व्यवसाय नहीं है, तो कोई भी आकस्मिक या सहायक लेनदेन केवल तभी होगा जब आकस्मिक या सहायक लेनदेन में व्यवसाय करने का एक स्वतंत्र इरादा स्थापित हो। उक्त मामले में, बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम, 1959 के प्रावधानों की जांच यह पता लगाने के लिए की गई कि क्या साईबाबा ट्रस्ट द्वारा पुस्तकों के प्रकाशन और बिक्री की सहायक गतिविधि उक्त अधिनियम के तहत "व्यवसाय" के बराबर है, जबकि उक्त ट्रस्ट की प्रमुख गतिविधि साईबाबा के संदेश का गैर-लाभकारी प्रसार था। इसमें अदालत ने उक्त अधिनियम की धारा 2 (11) के तहत विक्रेता की परिभाषा की जांच की है और कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति "विक्रेता" नहीं है, बल्कि केवल वे व्यक्ति हैं जो "विक्रेता" के रूप में बकाया माल खरीद या बेचकर "व्यवसाय करते हैं"। इस प्रकार, उक्त अधिनियम के तहत, विक्रेता की भी परिभाषा से, यह इस प्रकार है कि कोई व्यक्ति अपने द्वारा बेचे गए या खरीदे गए सामान के संबंध में विक्रेता नहीं होगा, जब तक कि वह ऐसी वस्तुओं को खरीदने और बेचने का व्यवसाय नहीं करता है। तत्काल मामले में धारा 2 (viii) के तहत विक्रेता की परिभाषा व्यापक है और विशेष रूप से उन व्यक्तियों को शामिल करती है जिन्होंने माल की बिक्री या हस्तांतरण को प्रभावित किया है, भले ही उक्त बिक्री या हस्तांतरण व्यवसाय के दौरान हो या नहीं। अतः उक्त निर्णय में इस अदालत का आदेश तत्काल मामले में भी लागू नहीं होगा।

24. इसलिए, पूर्वगामी चर्चाओं के आलोक में हमारी यह सुविचारित राय है कि खरीद, बिक्री, वितरण माल की आपूर्ति, कार्य अनुबंध को निष्पादित करने, किसी भी माल का उपयोग करने या किसी भी सेवा के माध्यम से या उसके हिस्से के रूप में

आपूर्ति करने के अधिकार को सीधे या अन्यथा हस्तांतरित करने के संबंध में निर्धारिती की गतिविधियाँ, चाहे जबरन या विलंबित भुगतान के लिए या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान विचार के लिए, चाहे व्यवसाय का सहारा हो या नहीं, अधिनियम की धारा 2 (viii) के दायरे में आएंगी। इसलिए, निर्धारिती-बंदरगाह न्यास अधिनियम की धारा 2 (viii) के तहत "विक्रेता" के अर्थ के भीतर आएगा और परिणामस्वरूप अधिनियम के तहत कर के लिए आकलन योग्य है।

25. हमारी सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है, और इसलिए, किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण नागरिक अपील को खारिज करने की आवश्यकता है।

26. परिणामस्वरूप, अपील खारिज कर दी जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय और आदेश की पुष्टि की जाती है। कोई लागत नहीं। तदनुसार आदेश दिया।

निधि जैन

अपील खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

